

आलय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

AZ

पीठासीन अधिकारी—

श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

09 / प्रा.पत्र / 2020

15.01.2020

08.09.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बून्दी। —प्रार्थी

—बनाम—

श्री विमलेश राठौर पुत्र श्री छीतर लाल राठौर, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स जोगणिया स्वीट
सेन्टर, देवजी का थाना, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी। निवासी राजकीय उच्च माध्यमिक
विद्यालय के पास, देवजी का थाना, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।

—अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) & (v)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियम 2011

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर
श्री सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी की ओर से—श्री रमेश अग्रवाल एड०

—: निर्णय :—

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना-पत्र में
निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैं:—

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी
का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित
अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक
26.07.2011 एवं क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक
09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये
अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/
पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य
क्षेत्र, जिला बून्दी आवंटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक
एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी
जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.08.2019 को समय 02:00 पी.एम. पर
नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु देवजी का थाना, स्थित फर्म जोगणिया स्वीट सेन्टर

श्री गिरिराज शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट

पर पहुंचा। वहां पर श्री विमलेश राठौर पुत्र श्री छीतरलाल राठौर, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। फर्म का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मौके पर वास्ते निरीक्षणार्थ मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ नुक्ती के लड्डू लगभग 20 कि०ग्रा० उपलब्ध थे जो विक्रेता एवं मालिक द्वारा बेसन, शक्कर, रिफाइण्ड सोयाबीन तेल एवं खाद्य रंग से विनिर्मित होना बताया। उक्त खाद्य पदार्थ नुक्ती के लड्डू में मिलावट का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, स्टील चमचे से लेकर, तुलवाकर, 2कि०ग्रा० एक साफ सुखी व स्वच्छ स्टील परती में वास्ते नमूना जांच खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 126/- नगद देकर रसीद प्राप्त की।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ नुक्ती के लड्डू को पुनः एकरूप कर चार कांच की साफ सुखी व स्वच्छ शीशीओं में बराबर-बराबर भरा एवं प्रत्येक कांच की शीशी में बतौर परिरक्षक फार्मेलिन की 40-40 बून्दे डालकर, ढक्कन लगाकर एयरटाईट किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू-1360 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर तात्कालिक डी.ओ. बून्दी डॉ. गोकुल लाल मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू-1360 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार-चार जगह नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होंने चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.-6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/307 दिनांक 14.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 422/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2019/477 दिनांक 11.10.2019 के अनुसार

A/B

विक्रय द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये नुक्ती के लडडू सबस्टेण्डर्ड (Substandard) पाये गये।

7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/24 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ नुक्ती के लडडू का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, एवं बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर, धारा 26 की उपधारा 2 (v) का उल्लंघन कर, क्रमशः धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा नुक्ती बनाने में बेसन, शक्कर, रिफाइनड सोयाबीन तेल का इस्तेमाल किया है जो बाजार से लिए गए थे और पैकिंग में लाया था। नुक्ती में रंग का उपयोग नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा नुक्ती बनाई गई थी तथा नुक्ती के लडडू नहीं बनाये गये थे। अप्रार्थी के नुक्ती के लडडू का सेम्पल नहीं लिया गया है क्योंकि अप्रार्थी के पास नुक्ती के लडडू थे ही नहीं। जिस सेम्पल की जांच होना परिवाद के अनुसार बताया गया है वह नुक्ती के लडडू है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा तैयार की गई नुक्ती के सेम्पल की जांच ही नहीं की गई है। इसलिए अप्रार्थी को सेम्पल जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा विकल्प में निवेदन किया गया कि नुक्ती बनाने के लिए उपयोग में लाए गए तेल, बेसन, शक्कर में यदि कोई खराबी है तो उनके निर्माताओं को भी तलब फरमाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा नुक्ती के सामान के बिल भी निरीक्षक महोदय को उपलब्ध कराए थे। न्याय हित में सेम्पल की एक शीशी को बहस के समय माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ तलब फरमाया जाना आवश्यक है ताकि न्यायालय के समक्ष सच प्रकट हो सके। उक्त नुक्ती अप्रार्थी ने स्वयं के उपयोग के लिए बनाई थी न कि बेचने के लिए। अप्रार्थी नुक्ती विक्रय का व्यवसाय नहीं करता है। सहानुभूति का रुख अपनाते हुये प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थी समाप्त की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ नुक्ती के लडडू का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर धारा 26 की उपधारा 2 (v) का उल्लंघन किया गया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा नुक्ती बनाने में बेसन, शक्कर, रिफाइनड सोयाबीन तेल का इस्तेमाल किया है जो बाजार से लिए गए थे और पैकिंग में लाया था। नुक्ती में रंग का उपयोग नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा नुक्ती बनाई गई थी तथा नुक्ती के लडडू नहीं बनाये गये थे। अप्रार्थी के नुक्ती के लडडू का सेम्पल नहीं लिया गया

